



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-10102025-266834
CG-UP-E-10102025-266834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4415]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4415]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति विभाग)]

अधिसूचना

झांसी, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4543(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989, की धारा 2 के खंड (37) क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.-

परियोजना का नाम

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -

(1)

(2)

(3)

1. झांसी: रायारू गुड्स शेड का विश्वस्तरीय गुड्स शेड के रूप में उन्नयन (चरण-1)

मध्य प्रदेश

[ई.फा.: सं.एन.सी.आर.-जे.एच.एस.ओ.जी.एस.यू/81/2025-O/o सी.पी.एम/जी.एस.यू/जे.एच.एस./एन.सी.आर (कम्प्यूटर सं. 152503), दिनांक 19.09.2025]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) सड़क सुरक्षा परियोजना, प्रयागराज

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Gati Shakti Department)]****NOTIFICATION**

Jhansi, the 30th September, 2025

S.O. 4543(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

S. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Jhansi: Upgradation of Rayaru goods shed as world class goods shed (Phase-1)	Madhya Pradesh

[e-file No. NCR-JHS0GSU/81/2025-O/o CPM/GSU/JHS/NCR (Computer No: 152503), Date: 19.09.2025.)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction) Road Safety Project, Prayagraj